न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 180/2023

अनवान : –

1. रामलाल पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. ईशरराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
2. किरसन पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
3. हीरा पत्नि नंदराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
4. पूर्णाराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
6. पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 24/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खांता सं. 44/37 के ख.न. 423/1 की 5.2750 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके पूर्व में सायल के दादा नन्दराम खातेदार काश्तकार थे।

सायल के दादा नन्दराम के फौत होने के बाद रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खांता सं. 44/37 के ख.न. 423/1 की 5.2750 हैक्टर भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त भूमि में सायल का गैरसायल स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खांता सं. 44/37 के ख.न. 423/1 की 5.2750 हैक्टर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व यथास्थिति बनाये रखे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के दादा नन्दराम के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्व किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें लेकिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध भी जब तक खाता व लगान अलग न हो तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है लेकिन अप्रार्थी स0 2 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि अप्रार्थी स0 2 ता 3 संयुक्त खातेदार काश्तकार है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है इसलिए अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा बाबत अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है लेकिन अप्रार्थी स0 2 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्राथीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज अराजी [illegible] बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है जबकि अप्रार्थी स0 2 ता 3 द्वारा वाद भूमि को रहन, बैय किया जाता है तो प्रार्थी को कोई असुविधा नही होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खांता सं. 44/37 के ख.न. 423/1 की 5.2750 हैक्टर भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी स0 2 ता 3 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24/10/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested